राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 216 / 2024
GCMS No. 2024 / 450

1. इन्द्रा पत्नी जस्सु सिंह जाति राजपूत निवासी अशोक नगर पटवार हल्का त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज.
2. कैलाश पुत्री जस्सु सिंह पत्नी हरिसिंह जाति राजपूत निवासी हाल आबाद कोठिया जिला अलवर, राज.

........वादीयागण

ब–ना–म

1. अजीत सिंह पुत्र जस्सु सिंह
2. नरेश सिंह पुत्र जस्सु सिंह
3. रामवीर सिंह पुत्र जस्सु सिंह
4. रोताश सिंह पुत्र जस्सु सिंह
5. सरजीत सिंह पुत्र जस्सु सिंह
6. रतना पुत्री जस्सु सिंह
   जाति राजपूत निवासी अशोक नगर पटवार हल्का त्यौंदा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज.
7. राजस्थान सरकार जरिये भू स्वामी तहसीलदार, खेतड़ी।

........प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व

धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादीयागण – श्री गिरधारी लाल सैनी

:: निर्णय :: दिनांक :– 09-09-25

वादीयागण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम अशोक नगर पटवार हल्का त्यौंदा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत 2076–79 के खाता सं. 53 के ख.नं. 2919 / 437 रकबा 0.71 है., ख.नं. 2920 / 461 रकबा 0[illegible]न. 2933 / 474 रकबा 0.4540 है., ख.नं. 436 रकबा 0.03 है., ख.नं. 445 रकबा 0.13 है., ख.नं. [illegible] रकबा 0.17 है., ख. नं. 447 रकबा 0.04 है., ख.नं. 448 रकबा 0.07 है., ख.नं. 452 रकबा [illegible] है., ख.नं. 454 रकबा 0.38 है., ख.नं. 457 रकबा 0.38 है. कुल कि[illegible] है की वादीयागण व प्रतिवादी सं. 1 से 6 संयुक्त खातेदार काश्तकार [illegible] भूमि में वादीयागण प्रत्येक का 1 / 8, 1 / 8 हिस्सा है एवं शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 व अन्य खातेदारों का है। वादिया सं. 1 का सहीनाम इन्द्रा पत्नी जस्सु सिंह है जो वादिया सं. 1 के आधार कार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त वर्णित भूमि में वादिया सं. 1 का नाम सहवन से या राजस्व कर्मचारियों की भूल से

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

इन्द्रा देवी दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम इन्द्रा पत्नी जस्सु सिंह है तथा वादिया सं. 2 का सही नाम कैलाश पुत्री जस्सु सिंह है लेकिन उक्त वर्णित भूमि मे वादिया सं. 2 का सहवन से या राजस्व कर्मचारियों की भूल से कैलाश सिंह पुत्र जस्सु सिंह दर्ज कर दिया जो गलत दर्ज कर दिया जबकि सही नाम कैलाश पुत्री जस्सु सिंह है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड मे वादियागण का नाम गलत दर्ज होने से वादियागण को भारी परेशानी हो रही है। राजस्व रिकार्ड में वादियागण का नाम अलग दर्ज होने से वादियागण को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे व भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में परेशानी होती है इसलिए वादियागण को अपना नाम दुरूस्ती बाबत यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अशोक नगर पटवार हल्का त्यौंदा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076–79 के खाता सं. 53 के ख.नं. 2919 / 437 रकबा 0.71 है., ख.नं. 2920 / 461 रकबा 0.45 है., ख.नं. 2933 / 474 रकबा 0.4540 है., ख.नं. 436 रकबा 0.03 है., ख.नं. 445 रकबा 0.13 है., ख.नं. 446 रकबा 0.17 है., ख.नं. 447 रकबा 0.04 है., ख.नं. 448 रकबा 0.07 है., ख.नं. 452 रकबा 0.18 है., ख.नं. 454 रकबा 0.38 है., ख.नं. 457 रकबा 0.38 है. कुल किता 11 कुल रकबा 2.9940 है. में दर्ज वादिया सं. 1 का नाम इन्द्रा देवी पत्नी जस्सु सिंह हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादिया सं. 1 का नाम इन्द्रा पत्नी जस्सु सिंह तथा वादिया सं. 2 का नाम कैलाश सिंह पुत्र जस्सु सिंह हजफ किया जाकर उसके स्थान पर कैलाश पुत्री जस्सु सिंह घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 7 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व / 2024 / 1270 दिनांक 18.10.2024 से जांच रिपोर्ट भिजवाई है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादियागण की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–79 खाता सं. 53 ग्राम अशोक नगर, फोटो प्रति आधार कार्ड (कैलाश), आधार कार्ड (इन्द्रा) पेश किये तथा साक्ष्य में शपथ पत्र अजीत सिंह पुत्र जस्सु सिंह (पी.डब्ल्यू. –1) भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार (भू.अ.), खेतड़ी के पत्र क्रमांकः 1270 दिनांक 18.10.2024 की जांच रिपोर्ट के द्वारा वादीयागण इन्द्रा देवी पत्नी जस्सु सिंह, कैलाश सिंह पुत्र जस्सु सिंह के स्थान पर इन्द्रा पत्नी जस्सु सिंह, कैलाश पुत्री जस्सु सिंह किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादीयागण स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः वाद वादीयागण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **अशोक नगर** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 53 में वादियागण का वर्तमान में दर्ज नाम **"इन्द्रा देवी पत्नी स्व. जस्सूसिंह व कैलाशसिंह पुत्र जस्सूसिंह"** के स्थान पर **"इन्द्रा पत्नी जस्सु सिंह व कैलाश पुत्री जस्सू सिंह"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खाते [illegible]ार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां [illegible]। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

इन्द्रा आदि

ब–ना–म

अजीत सिंह आदि

दावा बाबत **घोषणात्मक नाम दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– **216/2024** **GCMS No. 2024/450**

निर्णय दिनांक :– 09·09·25

वादीयागण की ओर से **श्री गिरधारी लाल सैनी एडवोकेट** की व प्रतिवादी की ओर से **स्वयं तहसीलदार** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 09·09·25 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीयागण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अशोक नगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 53 में वादियागण का वर्तमान में दर्ज नाम "इन्द्रा देवी पत्नी स्व. जस्सूसिंह व कैलाशसिंह पुत्र जस्सूसिंह" के स्थान पर "इन्द्रा पत्नी जस्स ूसिंह व कैलाश पुत्री जस्सू सिंह" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खाते में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 09·09·25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

सत्यमेव जयते

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं